(9)

न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः— लक्ष्मण सिंह कुडी
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या 403/2022
संदीप कुमार पुत्र श्री बनवारीलाल, ग्रा0पो0 टीटनवाड, तहसील गुढागौडजी, जिला झुंझुनूं, पिन कोड 333012, मो0न0 9602033780

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) उदयपुरवाटी।

— —

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील

आदेश

दिनांक 19.01.2023

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 27.12.2022 को पोर्टल पर इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 403/2022 पर दिनांक 27.12.2022 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) उदयपुरवाटी के विरूद्व पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) उदयपुरवाटी को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) उदयपुरवाटी से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक/2022/ 6897—9862 दिनांक 27.12.2022 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) उदयपुरवाटी ने पत्रांक पीए/2021/113 दिनांक 16.01.2023 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी श्री सन्दीप कुमार द्वारा आरटी0आई0 पोर्टल के माध्यम से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के अन्तर्गत सूचना मांगी गई। सूचना इस कार्यालय स्तर की नही होने के कारण आरटीआई पोर्टल के माध्यम से विकास अधिकारी, पंचायत समिति को भेजा गया। विकास अधिकारी, पंचायत समिति, उदयपुरवाटी ने अपने पत्र क्रमांक सू0अधि0अ0/5723 दिनांक 04.01.2023 को आवेदक को सूचना दी गई। प्रार्थी सन्दीप कुमार से दूरभाष नम्बर 9602033780 से सम्पर्क किया गया जिसमे प्रार्थी ने सूचना मिलना बताया तथा प्रार्थी ने की गई कार्यवाही से सन्तुष्ट होना बताया। अतः अपीलार्थी की अपील खारीज फरमायी जावें।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं।
6. लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) उदयपुरवाटी पत्रांक पीए/2021/113 दिनांक 16.01.2023 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी श्री सन्दीप कुमार द्वारा आरटी0आई0 पोर्टल के माध्यम से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के अन्तर्गत सूचना मांगी गई। सूचना उनके कार्यालय स्तर की नही होने के कारण आरटीआई पोर्टल के माध्यम से विकास अधिकारी, पंचायत समिति को भेजा गया। विकास अधिकारी, पंचायत समिति, उदयपुरवाटी ने अपने पत्र क्रमांक सू0अधि0अ0/5723 दिनांक 04.01.2023 को आवेदक को सूचना दी गई। प्रार्थी सन्दीप कुमार से दूरभाष नम्बर 9602033780 से सम्पर्क किया गया जिसमे प्रार्थी ने सूचना मिलना बताया तथा प्रार्थी ने की गई कार्यवाही से सन्तुष्ट होना बताया। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारीज किया जाता है।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 19.01.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2023.03.13 16:10:48 IST
Reason: SelfAttested

(एल0 एस0 कुडी)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं